कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्री हरीश चन्द अग्रवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलाड़, अजमेर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडगढ, जवाजा जिला अजमेर किया गया था जिसके विरूद्व श्री हरीश चन्द्र द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1515/2021 हरीश चन्द्र अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 1515/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री हरीश चन्द्र को अपनी अपील में वर्णित आधारों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दिये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं की पत्नी के गंभीर एवं असाध्य कैंसर रोग से पीड़ित होने को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि बस्सी, जयपुर/राउमावि नीमेड़ा, जयपुर/राउमावि बारोदिया, जयपुर/राउमावि दींदवारा, अजमेर/राउमावि टूटोली, जयपुर अथवा राउमावि शिवदासपुरा, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो कि पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, में माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। अपीलार्थी को जिले के भीतर ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और राज्य हित/विद्यार्थी हित/विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता।

उक्तानुसार अपीलार्थी श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/हरीश चन्द्र/1515/2021/217 दिनांक: 22/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक अजमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. हरीश चन्द्र अग्रवाल, प्रधानाचार्य राउमावि टोडगढ जिला अजमेर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)